राष्ट्रपति शासन की अवधि में राज्यों में भूमि सुधार कार्य

1634. **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री शारदानन्द :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री वंशनारायण सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम है जहां गत तीन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और यह कितनी अवधि तक लागू रहा ;

(ख) इस अवधि के दौरान किये गये भूमि-सुधार कार्य का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) संघ राज्य क्षेत्रों में किये गये भूमि सुधार कार्यों की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): राज्यों में गत वर्षों की अवधि में जिस अवधि तक राष्ट्रपति का शासन लागू रहा वह निम्न प्रकार है :—

राज्य का नाम	राष्ट्रपति शासन की अवधि
हरियाणा	21-1167 से 21-5-68 तक
पश्चिम बंगाल	20-2-68 से 25-2-69 तक
उत्तर प्रदेश	25-2-68 से 26-2-69 तक
बिहार	29-6-68 से 26-6-69 तक
पंजाब	23-8-68 से 17-2-69 तक
बिहार	4-7-69 से 16-2-70 तक
पश्चिम बंगाल	19-3-70 से अभी लागू है

(ख) उत्तर प्रदेश में, जमींदारी समाप्त कर दी गई है और सभी पट्टेदार तथा उप-पट्टेदार राज्य के सीधे सम्पर्क में आ गये हैं। वर्तमान में भूमि की मूल समस्या, गांव समाज द्वारा कृषि योग्य बेकार पड़ी भूमि का वितरण तथा जोतों की चकबन्दी है। ऐसी भूमियों के वितरण को केवल वाछंनीय व्यक्तियों में ही सुनिश्चित करने के लिये, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति की शासनावधि में, जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम 1968 राष्ट्रपति के अधिनियम के रूप में बनाया गया था। चकबन्दी कलापों के शीघ्र कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिये उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम को भी संशोधित किया गया था। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के स्वामित्व वाली भूमि से उन्हें पृथक न करने देने के प्रति पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, छोटा नागपूर पट्टेदारी (संशोधन) अधिनियम, 1968 और बिहार पट्टेदारी (संशोधन) अधिनियम 1968 राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में बनाये गये थे। इसके साथ ही, कृषि विकास के लिये उन्हें संस्थात्मक ऋण प्राप्त करने के लिये साधारण बन्धक को अधिकार भी दिया गया था। विधान की अवधि के विस्तार के लिये भी संशोधन किया गया जिसके अन्तर्गत रांची जिले के ताना भगत रैयतों को अपनी भूमि की पुनः प्राप्ति के लिये कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की गई।

बिहार भूमि सुधार अधिनियम में इस आधार पर कि अधिसूचना की प्रगतियां स्थानीय पत्रों में प्रकाशित नहीं हुई थी, परिसम्पति के अर्जन की क्रियान्विति को सुगम बनाने तथा अधिसूचना की वैधता के लिये संशोधन भी किया गया था।

बिहार पट्टेदारी अधिनियम, 1885 का भी संशोधन किया गया जिससे कि असैनिक

न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर ऐसे मामलों में रोक लगा दी गई है जिनमें अधिकारों के रिकार्ड की किसी प्रविष्टि के औचित्य को स्पष्ट रूप में या निहित रूप में चुनौती देने का जिस में किसी पट्टेदारी की प्रभाव सीमा के निर्धारण के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारियों को निर्णय करने के अधिकार प्रदान किये गये थे।

बिहार में बटाईदार तथा जोत की अधिकतम सीमा के उपबन्धों के संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत किये गये थे, लेकिन राष्ट्रपति के अधिनियम के रूप में आवश्यक कानून बनने से पहिले, राष्ट्रपति की घोषणा वापिस ले ली गई।

पश्चिम बंगाल में, पहले जारी किये गये अध्यादेशों को प्रतिस्थापित कर, निम्नलिखित राष्ट्रपति के अधिनियम बनाये गये ;

(1) पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1968।

(2) पश्चिम बंगाल परिसर पट्टेदारी (संशोधन) अधिनियम, 1968।

(3) कलकत्ता ठिका पट्टेदारी (संशोधन) अधिनियम, 1968 तथा

(4) कलकत्ता ठिका पट्टेदारी कार्यवाही रोक (अस्थायी व्यवस्था) अधिनियम, 1968।

बेदखली कार्यवाही को रोकने की अवधि को बढ़ाने के लिये कलकत्ता ठिकधिपट्टेदारी कार्यवाही रोक (अस्थायी व्यवस्था) अधिनियम में और संशोधन किया गया।

13 जुलाई, 1970 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर निम्नलिखित दृष्टिकोण से बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1970, राष्ट्रपति के अधिनियम के रूप में, बनाया गया :

(1) कम से कम क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रत्येक बरगदार को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना ;

(2) बरगदार के अधिकार को दायभोग्य बनाना ;

(3) जहां बरगदार हल, पशु तथा अन्य आदानों की सप्लाई करता है उन मामलों में बरगदार का शेयर उत्पादन के 60 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक बढ़ाना ; और

(4) भागचाज अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध, अपीलों के मामले मुन्सिफ कोर्ट से सब डिविजनल अधिकारियों को हस्तान्तरण करना।

जोत की अधिकतम सीमा से सम्बन्धित उपबन्धों के पुनरीक्षण के लिये राष्ट्रपति अधिनियम के अधिनियमन सम्बन्धी प्रस्तावों को अंतिम रूप में दिया जा रहा है।

(ग) बहुत संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष परिस्थितियां प्रचलित हैं, और वे बहुत राज्यों में प्रचलित परिस्थितयों के समान नहीं हैं। तथापि, अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Target for Export of Sugar during 1970-71

1635. SHRI R. K. AMIN :
SHRI NANJA GOWDER :
SHRI G. C. NAIK :
SHRI D. N. DEB :
DR. M. SANTOSHAM :
SHRI GADILINGANA GOWD :
SHRI PILOO MODY :
SHRI N. K. SOMANI :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the target for export of sugar during 1970-71 ;